

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम अनुभाग)

क्रमांक : प.1(2)वित्त/साविलेनि/2005

जयपुर, दिनांक : 30.1.2014
परिपत्र संख्या : 2/2014


आदेश

विषय : सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के भाग-I में संशोधन

राज्यपाल महोदय सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के भाग-I में निम्न प्रकार संशोधन करने के आदेश एतद्वारा प्रदान करते हैं:-


(i) After the existing entry at S.No. 424, the following new entry at S.No.425 in Appendix-8 of said rules shall be added as under:-

"425. Technical Director-cum-Joint Secretary, DoIT & C."

आज्ञा से,

(उमिला जोशी)
शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं अपने अधिनस्थ कार्यालयों को सूचित करने हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, राज्यपाल/मुख्यमंत्री/समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव/अति. मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख शासन सचिव/समस्त शासन सचिव/समस्त विशिष्ट शासन सचिव।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान, जयपुर ।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
6. समस्त उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग।
7. प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर ।
8. महालेखाकार (प्राप्ति एवं वाणिज्यिक लेखा परीक्षा)/(ए एण्ड ई) राजस्थान, जयपुर ।
9. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलेक्टर/संभागीय आयुक्त ।
10. समस्त कोषाधिकारी 12. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर ।
12. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग(कोडीफिकेशन) अतिरिक्त प्रति सहित ।
14. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ।
15. विशिष्ट रचना संगठन को भेजकर लेख है कि इस आदेश/परिपत्र का हिन्दी अनुवाद करवाकर इस विभाग को अविलम्ब भिजवावे ताकि हिन्दी अनुवाद प्रेषित किया जा सके ।
16. सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग को भेजकर लेख है कि वित्त (समन्वय) विभाग के आदेश संख्या प.17 (1) वित्त (समन्वय)/04 दिनांक 22.6.2004 के क्रम में इस परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावे।


(अरुण धमीजा)
मुख्य लेखाधिकारी